संख्या-17/2018/415/38-6-18-6(एसआरएलएम)/2014

प्रेषक,

टी0के0 शिबु,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक- 06 सितम्बर, 2018**

विषय:- डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-13 में स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-1521/आजीविका-1109/लेखा/2018-19, दि0-02.08.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-17036/57/2013एसजीएसवाई-3(एस.पी.) पार्ट-1(5/A), दि0-30.05.2018 द्वारा एक्शन प्लान 2016-19 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत(एनआरएलएम) अनुदान सं0-13(सामान्य मद) में केन्द्रांश की प्रथम किस्त-1389.00 लाख(तेरह करोड नवासी लाख) अवमुक्त की गयी है। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत रू0-48200.00 लाख बजट की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के उक्त पत्र दि0-30.05.2018 में राज्य सरकार को मैचिंग शेयर 90:10 के अनुपात में जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस प्रकार केन्द्रांश के रूप में 90 प्रतिशत रू0-1389.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि रू0-154.33 लाख बनती है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के उक्त आदेश दि0-30.05.2018 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1389.00 लाख एवं इसके सापेक्ष 10 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0-154.33 लाख कुल धनराशि रू0-1543.33 लाख(रूपये पन्द्रह करोड तैतालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त] ग्राम्य विकास@मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त] ग्राम्य विकास@मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन कार्यों/मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यों/मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय नियमों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीक़त की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-135/दस-2018-231/2018, दि0-30 मार्च, 2018 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाहीअनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2- ./दस-18, दि0- अगस्त 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0के0 शिबु)
विशेष सचिव।

संख्या-17/2018/415(1)/38-6-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://cmsanadesh.up.nic.in